भारत सरकार

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(खेल विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4005

उत्तर देने की तारीख 18 अगस्त, 2025

27 श्रावण, 1947 (शक)

भारत में ई-खेलों का विनियमन

4005. श्री केसिनेनी शिवनाथ:

श्री बी. के. पार्थसारथी:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय खेल संहिता के अंतर्गत ई-खेलों के लिए कोई संघ आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त/ स्थापित है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का ई-खेलों के लिए एक शासी निकाय स्थापित करने या उसे स्वीकृति देने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आगामी बहु-खेल आयोजनों के लिए ई-खेलों को विनियमित करने हेतु अपनाई जा रही संस्थागत संरचना का ब्यौरा क्या है तथा देश में ई-खेलों के लिए विनियामक व्यवस्था बनाने की विस्तृत समय-सीमा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने ऑनलाइन गैंबलिंग और कैजुएल गेम्स से अलग ई-खेलों के लिए कोई विशिष्ट विनियामक तंत्र स्थापित किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के अंतर्गत प्रतिस्पर्धी ई-खेलों को रियल-मनी गेमिंग से अलग करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) क्या सरकार का डिजिटल कौशल-आधारित खेलों को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय ई-खेल विकास विधेयक लाने या खेल संहिता में संशोधन करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (ङ) : विशिष्ट खेल विधाओं का संवर्धन और विकास संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघ (एनएसएफ) की ज़िम्मेदारी है। ई-स्पोर्ट्स के संबंध में, इस विधा के लिए वर्तमान में मंत्रालय द्वारा किसी भी परिसंघ को मान्यता प्रदान नहीं की गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, यह विधा अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, और ई-स्पोर्ट्स के लिए नियमन ढाँचा अभी निर्मित होना बाकी है।
